सरकारी योजनाओं तथा नीतियों से गोस्वामी समुदाय की प्रस्थिति पर प्रभाव का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 निर्दोषिता बिष्ट*, प्रो0 ज्योति जोशी**

सारांश

गाँवों में नवीन विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण आज ग्रामीण संरचना अपने परम्परागत स्वरूप से हटकर नया परिवेश ग्रहण कर रही है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण समाज के परम्परागत स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, समतावादी और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए ग्रामीण विकास को सर्वप्रमुख आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया। ग्रामीण समाज के विकास की प्राप्ति के लिए गाँवों में न केवल नवीन विकास की योजनाएं चलाकर बल्कि सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में ग्रामीणों के सहयोग को भी आवश्यक माना जाने लगा। इसके साथ–साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप गाँवों में बदलते सामाजिक प्रतिमानों तथा जातिगत संस्तरण की प्रबलता के कम होने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आज सम्मानजनक सामाजिक स्तर प्राप्त हो रहा है। अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गो के कल्याण तथा विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के विकास तथा क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप इनके सामाजिक–आर्थिक, सामाजिक–राजनीतिक, सामाजिक–आर्थिक तथा सामाजिक– सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जिनके प्रभाव से सामाजिक प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

शब्द संकेत : सरकारी योजनाएं, नीतियाँ, शिक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वालम्बन, आर्थिक जागरूकता, सामाजिक– आर्थिक विकास, प्रस्थिति तथा सामाजिक।

प्रस्तावना

भारत में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के अतिरिक्त वह समूह जिन्हें, राज्य ने सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से मान्यता दी है, उसे अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में जाना जाता है[1]। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में की गयी थी। इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग या काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है[2]। इस आयोग का मूल उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गो को सशक्तता प्रदान करना था। आयोग का मानना था कि अन्य पिछड़े वर्गो के लोग स्वयं अपने बल पर ऊपर उठने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें सरकारी सहायता और आरक्षण का लाभ देकर समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकता है[3]। आयोग ने 2399 जातियों की पहचान अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में की थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत थी। वर्ष 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया[4]। मण्डल आयोग की सिफारिशों पर लम्बी चर्चा के बाद उस समय की सरकार ने उन्हें लागू करने का फैसला किया और 10 अगस्त 1990 को सरकारी ज्ञापन जारी कर भारतीय सरकार के अन्तर्गत आने वाली सिविल सेवाओं के पदों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया[5]। 28 जुलाई 2000 को आयोग का पुनर्गठन किया गया। अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया[6]। उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक प्रस्थिति को उठाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य किया गया। किसी भी समाज और राष्ट्र का विकास तभी सम्भव है जब उस समाज में रहने वाले सभी वर्गो के लोगों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हो। इन अधिकारों व अवसरों की कानूनी व सैद्धान्तिक मान्यता के साथ–साथ समाज में व्यवहारिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है। भारतीय समाज में अन्य पिछड़े वर्गो की स्थिति का आंकलन करते हुए हम देखते हैं कि कानूनी व सैद्धान्तिक सन्दर्भों में अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारों और अवसरों में कोई कमी नहीं हैं। परन्तु व्यवहारिक स्वीकार्यता के सन्दर्भ में अभी अभीष्ट लक्ष्य तक हम नहीं पहुँच सके हैं। विस्तृत अर्थों में कहा जा सकता कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन में बिना किसी भेदभाव के अवसरों की समान उपलब्धता ही समानता है[7]।

अध्ययन क्षेत्र– प्रस्तुत शोध कार्य उत्तराखण्ड राज्य के बागेश्वर जनपद के गाँव कोटू रामपुर, पिथौरागढ़ जनपद के जाख गिरि तथा नैनीताल जनपद के एक गाँव गिन्ती गाँव के गोस्वामी परिवारों पर आधारित है। इस अध्ययन में इन तीनों गाँवों की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन में उत्तरदाताओं को आयु के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है,

* असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, रा0 स्ना0 महाविद्यालय, द्वाराहाट, अल्मोड़ा
** समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

जिनमें एक आयु वर्ग के उत्तरदाता 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं तथा दूसरे उत्तरदाता 18 से 45 वर्ष की आयु के मध्य के हैं। प्रस्तुत अध्ययन में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 162 उत्तरदाता तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 162 उत्तरदाता अध्ययन हेतु निदर्श हैं, जिनमें पुरूष एवं महिलाएं दोनों सम्मिलित हैं। तीनों गाँवों के दोनों आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.1

अध्ययन हेतु चयनित गाँवों के उत्तरदाताओं का विवरण

क्रं.सं.	गाँव का नाम	चयनित उत्तरदाताओं के आयु वर्ग	
		45 वर्ष से अधिक	18 से 45 वर्ष के मध्य
1	कोटू रामपुर गाँव	90	90
2.	गिन्ती गाँव	37	37
3.	जाख गिरि गाँव	35	35
कुल योग		**162**	**162**

स्रोत : : उपरोक्त तथ्य शोध छात्रा ने साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किए हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं में कोटू रामपुर गाँव के 90 उत्तरदाता, गिन्ती गाँव के 37 उत्तरदाता तथा जाख गिरि गाँव के 35 उत्तरदाता 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनकी कुल संख्या 162 है। 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के उत्तरदाताओं में कोटू रामपुर गाँव के 90 उत्तरदाता, गिन्ती गाँव के 37 उत्तरदाता तथा जाख गिरि गाँव के 35 उत्तरदाता 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनकी कुल संख्या 162 है। इस प्रकार इन तीनों गाँवों से दोनों आयु समूहों के कुल 324 उत्तरदाता अध्ययन हेतु निदर्श हैं।

गोस्वामियों का परिचय– गोस्वामी (गुसांई) एक भारतीय उपनाम है[8]। आदि गुरू शंकराचार्य ने ब्राह्मण समाज के लोगों में धर्म की हानि रोकने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के एक नई सम्प्रदाय की शुरूआत की, जिन्हें गोस्वामी/गुसांई कहा गया। गोस्वामी/गुसाई समाज भारतीय संस्कृति से जुड़ा समाज है। इसे गुसाई/गोस्वामी समाज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कुल 10 भागों/उपजातियों में वर्गीकृत किया गया है। गोस्वामी समाज को ऋषियों की संतान भी कहा जाता है। 10 नाम गोस्वामी समाज के 10 उच्च जातियों के चार अलग–अलग ऋषि हैं। गिरि, पर्वत और सागर को भृगु ऋषि का वंशज माना गया है। पुरी, भारती और सरस्वती को शांडिल्य ऋषि का वंशज माना जाता है। वन और अरण्य को कश्यप ऋषि का वंशज तथा तीर्थ और आश्रम को अवगत ऋषि का वंशज माना जाता है। इस प्रकार गोस्वामी समाज की 10 उपजातियाँ अग्रलिखित हैं– गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारत, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम आदि हैं।

पूर्व काल में आदि शंकराचार्य ने धर्म की हानि रोकने के लिए इनको 10 भागों में विभाजित कर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्मरक्षार्थ हेतु भेजा था। जिन संन्यासियों ने पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों मे प्रस्थान किया वे गिरि एवं पर्वत और जिन्हें जंगली अथवा वन क्षेत्रों में भेजा वे वन एवं अरण्य कहलाये। जो संन्यासी सरस्वती नदी के किनारे धर्म का प्रचार कर रहे थे वे सरस्वती, जो जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे वे पुरी कहलाये। इसी प्रकार जो समुद्री तटों पर गये वे सागर, जो तीर्थ स्थल पर प्रचार कर रहे थे वे तीर्थ, जिन संन्यासियों को मठ और आश्रम सौंपे गये वे आश्रम तथा जो धार्मिक नगरी भारती में धर्म का प्रचार कर रहे थे वे भारती कहलाये।

इन 10 नाम जातियों को गोसाई/गुसाई/गोस्वामी के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य है कि 'गौ' अर्थात् पाँचों इंद्रियों का स्वामी अर्थात् नियंत्रण रखने वाला। इस प्रकार गोस्वामी का अर्थ पाँचों इन्द्रियों को वश में रखने वाला होता है, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में गोस्वामी का अर्थ हिन्दुओं के रक्षक व गौरक्षक से भी समझा जाता है[9]। गोस्वामी समाज सम्पूर्ण भारत में फैला है, लेकिन सर्वाधिक गोस्वामी समाज के लोग झारखण्ड, राजस्थान, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में रहते हैं। गोस्वामी समाज शिव उपासक होते हैं। गोस्वामी समाज भक्ति परम्परा से जुड़ा सम्प्रदाय है। इन्होंने भक्ति को अनूठा योगदान दिया है। पूर्व में अधिकाँश गोस्वामी समाज के लोग मंदिर आदि में पूजा कार्य करते थे। उत्तराखण्ड के कुमाऊँ में गोस्वामी अलग–अलग जनपदों– बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं उधमसिंहनगर में निवास करते हैं, लेकिन बागेश्वर, नैनीताल एवं पिथौरागढ़ जनपदों में गोस्वामी समाज के व्यक्तियों की संख्या अधिक है।

शोध अभिकल्प– एक शोधकर्ता अपने अनुसंधान कार्य का आरम्भ करने से पहले उसके सभी पक्षों के सम्बन्ध में पहले ही निर्णय लेकर नियोजन करता है, इसे ही शोध प्रविधि कहा जाता है। शोध प्रविधि के अन्तर्गत क्रमबद्ध रूप में प्रत्येक सोपान के

सम्बन्ध में विवरण दिया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक व विवरणात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है। विषय या समस्या के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है।

अध्ययन के उद्देश्य– प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत गोस्वामी परिवारों के उत्तरदाताओं पर सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभाव की सीमा को ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है। गोस्वामी परिवारों के उत्तरदाताओं के जीवन के विभिन्न पक्षों पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के लोगों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ वास्तव में उन्हें मिल रहा है या नहीं। क्या अन्य पिछड़े वर्गो के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है या नहीं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह भी जानना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ गोस्वामी परिवारों के लोगों को किस सीमा तक मिल रहा है। प्रस्तुत शोध कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1. सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं तथा नीतियों के सम्बन्ध में गोस्वामी परिवारों के दोनों आयु वर्ग के समूहों के उत्तरदाताओं की जनजागरूकता का अध्ययन करना।
2. गोस्वामियों द्वारा सरकारी योजनाओं तथा कल्याणकारी योजनाओं एवं ऋण योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में दोनों आयु वर्ग के समूहों के उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
3. सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभ प्राप्त कर गोस्वामी परिवारों की बालिकाओं द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में दोनों आयु वर्ग के समूहों के उत्तरदाताओं की मनोवृत्तियों का अध्ययन करना।
4. गोस्वामियों द्वारा सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों के सम्बन्ध में दोनों आयु वर्ग के समूहों के उत्तरदाताओं की मनोवृत्तियों का अध्ययन करना।

शोध उपकरण– प्राथमिक आंकड़ों के लिए साक्षात्कार अनुसूची एवं द्वितीयक आंकड़ों के लिए शासकीय, अर्द्ध–शासकीय प्रकाशनों, इंटरनेट, रिसर्च जर्नल्स, शोध पत्र, जनगणना आंकड़े एवं पुस्तकें आदि।

तथ्य विश्लेषण– प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संकलित तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित तथ्यों को उद्घाटित किया गया है।

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

सूचना क्रान्ति के दौर में आधुनिक संचार के साधन टेलीविजन, वीडियो, सिनेमा, मोबाइल, टेलीफोन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा लेपटॉप आदि से ग्रामीण समाज के रूबरू होने से सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए चलाई जा रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी ग्रामीणों को आसानी से प्राप्त हो रही है। संचार के साधनों तथा सूचना प्रौद्योगिकी से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है, जिससे उनकी गतिशीलता बढ़ रही है[10]। सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी होने के विषय में जब उत्तरदाताओं से पूछा गया तो उन्होंने जो प्रत्युत्तर दिये, उसे निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.2

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र. सं.	सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के सम्बन्ध में	उत्तरदाताओं का आयु समूह							
		45 वर्ष से अधिक				18 से 45 वर्ष के मध्य			
		कोटू रामपुर	गिन्ती गाँव	जाख गिरि	योग	कोटू रामपुर	गिन्ती गाँव	जाख गिरि	योग
1.	हाँ	53 (58.89)	17 (45.95)	30 (85.71)	100	67 (74.45)	31 (83.78)	19 (54.29)	117
2.	नहीं	37 (41.11)	20 (54.05)	05 (14.29)	62	23 (25.55)	06 (16.22)	16 (45.71)	45
योग		90 (100)	37 (100)	35 (100)	162 (100)	90 (100)	37 (100)	35 (100)	162 (100)

स्रोत : उपरोक्त तथ्य शोध छात्रा ने साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किए हैं।

सारणी 1.2 से स्पष्ट है कि 45 वर्ष से अधिक आयु समूह के उत्तरदाता वर्तमान समय में सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण व उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के सम्बन्ध में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के

उत्तरदाताओं में ग्राम कोटू रामपुर के 58.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इन योजनाओं की जानकारी है, जबकि 41.11 प्रतिशत उत्तरदाताओं के इन सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। गिन्ती गाँव के 45.95 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इन योजनाओं की जानकारी है, जबकि 54.05 प्रतिशत उत्तरदाताओं के इन सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। जाख गिरि गाँव के 85.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इन योजनाओं की जानकारी है, जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं के इन सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है।

सारणी 1.2 से स्पष्ट है कि 18 से 45 वर्ष के मध्य के आयु समूह के उत्तरदाता वर्तमान समय में सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण व उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के सम्बन्ध में 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के उत्तरदाताओं में ग्राम कोटू रामपुर के 74.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इन योजनाओं की जानकारी है, जबकि 25. 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं के इन सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। गिन्ती गाँव के 83.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इन योजनाओं की जानकारी है, जबकि 16.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं के इन सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। जाख गिरि गाँव के 54.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इन योजनाओं की जानकारी है, जबकि 45.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं के इन सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है।

सारणी 1.2 से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण तथा उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की तुलना में 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के उत्तरदाताओं को अधिक है।

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ लेने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। गाँवों में इन योजनाओं की जानकारी गाँव वालों को ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, स्वयं सहायता समूह तथा महिला समूहों द्वारा प्राप्त होती है। इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों द्वारा लिया जाता है, जैसे– कृषि, पशुपालन, दुग्ध, भेड पालन, मुर्गी पालन के अलावा अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिलता है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.3

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ लेने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र. सं.	सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के सम्बन्ध में	उत्तरदाताओं का आयु समूह							
		45 वर्ष से अधिक				18 से 45 वर्ष के मध्य			
		कोटू रामपुर	गिन्ती गाँव	जाख गिरि	योग	कोटू रामपुर	गिन्ती गाँव	जाख गिरि	योग
1.	हाँ	56 (62.22)	14 (37.84)	27 (77.14)	97	61 (67.78)	29 (78.38)	19 (54.29)	109
2.	नहीं	34 (37.78)	23 (62.16)	08 (22.86)	65	29 (32.22)	08 (21.62)	16 (45.71)	53
योग		90 (100)	37 (100)	35 (100)	162 (100)	90 (100)	37 (100)	35 (100)	162 (100)

स्रोत : उपरोक्त तथ्य शोध छात्रा ने साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किए हैं।

सारणी 1.3 से स्पष्ट है कि 45 वर्ष से अधिक आयु समूह के उत्तरदाता सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ लेने के आधार पर 45 वर्ष से अधिक आयु के चयनित उत्तरदाताओं में ग्राम कोटू रामपुर के 62.22 प्रतिशत उत्तरदाता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि 37.78 प्रतिशत उत्तरदाता इन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं। गिन्ती गाँव के 37.84 प्रतिशत उत्तरदाता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि 62.16 प्रतिशत उत्तरदाता इन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं। जाख गिरि गाँव के 77.14 प्रतिशत उत्तरदाता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि 22.86 प्रतिशत उत्तरदाता इन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं।

सारणी 1.3 से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ लेने के आधार पर 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु के चयनित उत्तरदाताओं में ग्राम कोटू रामपुर के 67.78 प्रतिशत उत्तरदाता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का

लाभ ले रहे हैं, जबकि 32.22 प्रतिशत उत्तरदाता इन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं। गिन्ती गाँव के 78.38 प्रतिशत उत्तरदाता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि 21.62 प्रतिशत उत्तरदाता इन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं। जाख गिरि गाँव के 54.29 प्रतिशत उत्तरदाता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि 45.71 प्रतिशत उत्तरदाता इन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं।

सारणी 1.3 से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के प्रत्युत्तरों में दोनों आयु वर्ग के उत्तरदाता इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की तुलना में 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के उत्तरदाता अधिक ले रहे हैं।

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर परिवार में बालिकाओं द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा तथा सरकारी नौकरी में स्थान आरक्षित करने के साथ–साथ इनके विकास एवं उन्नति के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के बालकों तथा बालिकाओं के लिए मैट्रिक से लेकर पी–एच.डी. उपाधि तक के पाठ्यक्रमों के लिए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ–साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार द्वारा इन वर्गो की सहायता की जा रही है। शोधार्थिनी ने चयनित ग्रामों के उत्तरदाताओं से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ के आधार पर परिवार में बालिकाओं द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न किया तो उनके द्वारा दिये गये प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.4

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर परिवार में बालिकाओं द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र. सं.	सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में	उत्तरदाताओं का आयु समूह							
		45 वर्ष से अधिक				18 से 45 वर्ष के मध्य			
		कोटू रामपुर	गिन्ती गाँव	जाख गिरि	योग	कोटू रामपुर	गिन्ती गाँव	जाख गिरि	योग
1.	हाँ	37 (41.11)	13 (35.14)	24 (68.57)	74	73 (81.11)	21 (56.76)	18 (51.43)	112
2.	नहीं	53 (58.89)	24 (64.86)	11 (31.43)	88	17 (18.89)	16 (43.24)	17 (48.57)	50
योग		90 (100)	37 (100)	35 (100)	162 (100)	90 (100)	37 (100)	35 (100)	162 (100)

स्रोत : उपरोक्त तथ्य शोध छात्रा ने साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किए हैं।

सारणी 1.4 से स्पष्ट है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाताओं में ग्राम कोटू रामपुर के 41.11 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कर प्राप्त अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। जबकि 58.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार सरकारी योजनाओं के आधार पर अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलवाने का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। गिन्ती गाँव के 35.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। जबकि 64.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार सरकारी योजनाओं के आधार पर अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलवाने का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जाख गिरि गाँव के 68.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। जबकि 31.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार सरकारी योजनाओं के आधार पर अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलवाने का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

सारणी 1.4 से स्पष्ट है कि 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु के उत्तरदाताओं में ग्राम कोटू रामपुर के 81.11 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। जबकि 18.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार सरकारी योजनाओं के आधार पर अपनी बालिकाओं को उच्च

शिक्षा दिलवाने का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। गिन्ती गाँव के 56.76 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। जबकि 43.24 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार सरकारी योजनाओं के आधार पर अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलवाने का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जाख गिरि गाँव के 51.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। जबकि 48.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार सरकारी योजनाओं के आधार पर अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलवाने का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

सारणी 1.4 से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान कराने में 45 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाताओं के परिवारों की तुलना में 18 से 45 वर्ष के मध्य के उत्तरदाताओं के परिवारों की संख्या अधिक है। युवा वर्ग के उत्तरदाताओं के परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करा रहे हैं।

सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी होने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

सरकार प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए अनेक सरकारी कार्यक्रम तथा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज सरकार द्वारा नागरिकों के लिए सरकारी ऋण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके द्वारा लोग अपने व्यवसायों तथा रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार द्वारा नागरिकों के लिए चलाई जा रही सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी उत्तरदाताओं को है अथवा नहीं, के विषय में प्राप्त प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.5

सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी होने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र. सं.	सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी के सम्बन्ध में	उत्तरदाताओं का आयु समूह							
		45 वर्ष से अधिक				18 से 45 वर्ष के मध्य			
		कोटू रामपुर	गिन्ती गाँव	जाख गिरि	योग	कोटू रामपुर	गिन्ती गाँव	जाख गिरि	योग
1.	हाँ	67 (74.45)	17 (45.95)	22 (62.86)	106	62 (68.88)	24 (64.86)	23 (65.71)	109
2.	नहीं	23 (25.55)	20 (54.05)	13 (37.14)	56	28 (31.12)	13 (35.14)	12 (34.29)	53
योग		90 (100)	37 (100)	35 (100)	162 (100)	90 (100)	37 (100)	35 (100)	162 (100)

स्रोत : उपरोक्त तथ्य शोध छात्रा ने साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किए हैं।

सारणी 1.5 से स्पष्ट है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाताओं में ग्राम कोटू रामपुर के 74.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीणों को सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी है, जबकि 25.55 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीण लोगों को सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी नहीं है। गिन्ती गाँव के 45.95 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीणों को सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी है, जबकि 54.05 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीण लोगों को सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी नहीं है। जाख गिरि गाँव के 62.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीणों को सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी है, जबकि 37.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीण लोगों को सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी नहीं है।

सारणी 1.5 से स्पष्ट है कि 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु के उत्तरदाताओं में ग्राम कोटू रामपुर के 68.88 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीणों को सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी है, जबकि 31.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीण लोगों को सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी नहीं है। गिन्ती गाँव के 64.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीणों को सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी है, जबकि 35.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीण लोगों को सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी नहीं है। जाख गिरि गाँव के 65.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीणों को सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी है, जबकि 34.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीण लोगों को सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी नहीं है।

सारणी 1.5 से स्पष्ट है कि दोनों आयु वर्गो के उत्तरदाताओं में अधिकाँश उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी ऋण योजनाओं तथा इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी है।

सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक सरकारी योजनाएं तथा इससे सम्बन्धित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर प्रत्येक नागरिक में आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बन के गुणों का विकास हो रहा है। ग्रामीण समाज के लोगों के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम इस दिशा में चलाये जा रहे हैं। उत्तरदाताओं द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जाता है या नहीं, के विषय में प्राप्त प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.6

सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र. सं.	सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में	उत्तरदाताओं का आयु समूह							
		45 वर्ष से अधिक				18 से 45 वर्ष के मध्य			
		कोटू रामपुर	गिन्ती गाँव	जाख गिरि	योग	कोटू रामपुर	गिन्ती गाँव	जाख गिरि	योग
1.	हाँ	47 (52.22)	13 (35.14)	23 (65.71)	93	60 (66.67)	22 (59.46)	22 (62.86)	104
2.	नहीं	43 (47.78)	24 (64.86)	12 (34.29)	77	30 (33.33)	15 (40.54)	13 (37.14)	58
योग		90 (100)	37 (100)	35 (100)	162 (100)	90 (100)	37 (100)	35 (100)	162 (100)

स्रोत : उपरोक्त तथ्य शोध छात्रा ने साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किए हैं।

सारणी 1.6 से स्पष्ट है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाताओं में ग्राम कोटू रामपुर के 52.22 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी योजनाओं का लाभ लेना स्वीकार करते हैं, जबकि 47.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेते हैं। गिन्ती गाँव के 35.14 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी योजनाओं का लाभ लेना स्वीकार करते हैं, जबकि 64.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेते हैं। जाख गिरि गाँव के 65.71 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी योजनाओं का लाभ लेना स्वीकार करते हैं, जबकि 34.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेते हैं।

सारणी 1.6 से स्पष्ट है कि 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु के उत्तरदाताओं में ग्राम कोटू रामपुर के 66.67 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी योजनाओं का लाभ लेना स्वीकार करते हैं, जबकि 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेते हैं। गिन्ती गाँव के 59.46 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी योजनाओं का लाभ लेना स्वीकार करते हैं, जबकि 40.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेते हैं। जाख गिरि गाँव के 62.86 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी योजनाओं का लाभ लेना स्वीकार करते हैं, जबकि 37.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेते हैं।

सारणी 1.6 से स्पष्ट है कि दोनों आयु वर्ग के उत्तरदाताओं में अधिकाँश उत्तरदाताओं द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की तुलना में 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु के उत्तरदाताओं द्वारा सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ अर्जित किया जा रहा है।

सरकारी योजनाओं की जानकारी एवम् उन्हें प्राप्त करने के स्रोतों के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

आज सरकार द्वारा ग्रामीणों के उत्थान व उनकी प्रगति के लिए अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिनका लाभ गाँवों में रहने वाले लोग उठा रहे हैं। इन योजनाओं से ग्रामीण समाज विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है। उत्तरदाताओं से उनको प्राप्त होने वाली योजनाओं के विषय में प्रश्न किये जाने पर कि क्या आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी तथा उनके स्रोतों की जानकारी है, तो इसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा दिये गये उत्तरों को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.7

सरकारी योजनाओं की जानकारी एवम् उन्हें प्राप्त करने के स्रोतों के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र. सं.	सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के स्रोतों के सम्बन्ध में	उत्तरदाताओं का आयु समूह							
		45 वर्ष से अधिक				18 से 45 वर्ष के मध्य			
		कोटू रामपुर	गिन्ती गाँव	जाख गिरि	योग	कोटू रामपुर	गिन्ती गाँव	जाख गिरि	योग
1.	ग्राम प्रधान से	41 (45.56)	17 (45.95)	17 (48.58)	75	59 (65.56)	08 (21.62)	18 (51.43)	85
2.	लेखपाल से	16 (17.78)	09 (24.33)	10 (28.57)	35	11 (12.22)	13 (35.14)	08 (22.86)	32
3.	सरकारी कर्मचारियों से	33 (36.66)	11 (29.73)	08 (22.85)	52	20 (22.22)	16 (43.24)	09 (25.71)	45
योग		90 (100)	37 (100)	35 (100)	162 (100)	90 (100)	37 (100)	35 (100)	162 (100)

स्रोत : उपरोक्त तथ्य शोध छात्रा ने साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किए हैं।

सारणी 1.7 से स्पष्ट है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाताओं में ग्राम कोटू रामपुर के 45.56 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है कि उन्हें सरकारी योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अपने ग्राम प्रधानों से प्राप्त होती है। 17.78 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अपने लेखपाल से प्राप्त होती है। जबकि 36.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें उक्त जानकारी सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त होती है। गिन्ती गाँव के 45.95 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है कि उन्हें सरकारी योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अपने ग्राम प्रधानों से प्राप्त होती है। 24.33 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अपने लेखपाल से प्राप्त होती है। जबकि 29.73 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें उक्त जानकारी सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त होती है। जाख गिरि गाँव के 48.58 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है कि उन्हें सरकारी योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अपने ग्राम प्रधानों से प्राप्त होती है। 28.57 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अपने लेखपाल से प्राप्त होती है। जबकि 22.85 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें उक्त जानकारी सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त होती है।

सारणी 1.7 से स्पष्ट है कि 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु के उत्तरदाताओं में ग्राम कोटू रामपुर के 65.56 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है कि उन्हें सरकारी योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अपने ग्राम प्रधानों से प्राप्त होती है। 12.22 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अपने लेखपाल से प्राप्त होती है। जबकि 22.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें उक्त जानकारी सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त होती है। गिन्ती गाँव के 21.62 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है कि उन्हें सरकारी योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अपने ग्राम प्रधानों से प्राप्त होती है। 35.14 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अपने लेखपाल से प्राप्त होती है। जबकि 43.24 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें उक्त जानकारी सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त होती है। जाख गिरि गाँव के 51.43 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है कि उन्हें सरकारी योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अपने ग्राम प्रधानों से प्राप्त होती है। 22.86 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं तथा उनका लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अपने लेखपाल से प्राप्त होती है। जबकि 25.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें उक्त जानकारी सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त होती है।

सारणी 1.7 से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं उन्हें प्राप्त करने के स्रोतों के सम्बन्ध में दोनों आयु वर्ग के उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामवासियों को ग्राम प्रधान, लेखपाल तथा सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में शिक्षा, संचार, यातायात के साधनों के विकास से

ग्रामीणों की जनजागरूकता में बढ़ोत्तरी हुई है। ग्रामीण समाज सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का आज लाभ प्राप्त कर रहा है, जिससे इनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं के जीवन में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से गतिशीलता आयी है, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करना है। धारियाल नरेन्द्र ने अपने शोध प्रबन्ध 'ग्रामीण कुमाँऊ में सामाजिक गतिशीलता' के अन्तर्गत पिथौरागढ़ जिले के ग्राम भटेड़ी पर शिक्षा द्वारा सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन में पाया कि "शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपने रोजगार एवं व्यवसाय को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। परम्परागत व्यवसाय करने वालों में कम शिक्षित व्यक्तियों की संख्या अधिक है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की वैचारिकी एवं चिन्तन की प्रकृति में परिवर्तन हुए हैं[11]। इस प्रकार सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विकास की योजनाओं से गोस्वामी परिवार समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर ये लोग अपने को सशक्त कर रहे हैं, जिससे इनकी सामाजिक और आर्थिक प्रस्थिति में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते दिखाई दे रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुमार, धर्मेन्द्र (2016), 'समाजशास्त्र', पब्लिकेशन टाटा मैग्रोहिल लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ0 270–271.
2. आहूजा, राम (2012), 'भारतीय समाज', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ0 60–61.
3. कुप्पु, स्वामी, बी. (1948), 'सोशल चेंज इन इंडिया', विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0 69–72.
4. शर्मा, के.एल. (2006), 'भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ0 63.
5. गुप्ता, एम.एल. एवं शर्मा, डी.डी. (2019), 'समाजशास्त्र', पब्लिशर साहित्य भवन, आगरा, पृ0 524.
6. शर्मा, एन.के., 'भारतीय समाज और संस्कृति', साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, पृ0 83.
7. सास्वत, जीवन कुमार, व शर्मा, पुनीत (2009), 'सूचना तकनीकी से बदलती गाँवों की दुनिया', कुरूक्षेत्र, अंक–6, पृ0 30
8. उपनाम की उत्पत्ति Bharat Times Reader's Blog 'हिंदी भाषा में' 19 नवम्बर 2014, अभिगमन तिथि 10 अप्रैल 2020.
9. Antoinettee, Elezabeth Devapoli (2014) Read Sadhus Singh to God : Gender; Asceticism and Vernacular Religion in Rajasthan, Oxford University Press, Page 3-4.
10. चट्टोपाध्याय, डी.पी., 'मैटर एण्ड मैथड इन सोशियोलॉजी एण्ड जियोलॉजी, विद स्पेशल रिफरेंस टू रूरल इंडिया', सोशियोलॉजिकल कान्फरेंस, बी0एच0यू0, पृ0 15–16.
11. धारियाल, नरेन्द्र (2002), 'सोशल मोबिलिटी इन रूरल एरिया', अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, पृ0 77.